भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2913

उत्तर देने की तारीखः 18.03.2025

पीएम विशेष योजना

2913. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में देखभाल अर्थव्यवस्था विकसित करेगी;

(ख) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री विशेष योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है और यदि हां, तो अब तक इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या का तेलंगाना में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की तेलंगाना में वृद्धावस्था देखभाल सेवाओं की मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता या वृत्तिका प्रदान करती है, और यदि हां, तो प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में पात्रता और संवितरण के मानदंड क्या हैं; और

(ड.) क्या सरकार ने प्रशिक्षित वृद्ध देखभालकर्ताओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अस्पतालों, नर्सिंग होम या गृह देखभाल सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग किया है और यदि हां, तो विशेष रूप से तेलंगाना में, ऐसी साझेदारियों के अंतर्गत नियोजित प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं की संख्या कितनी है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): प्रधानमंत्री विशेष (वृद्धावस्था देखभाल सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षण) योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभाल सेवा प्रदाताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के बीच के को पाटना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और देखभाल के क्षेत्र में पेशेवर सेवा प्रदाताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। इस योजना से वृद्धावस्था देखभाल सेवा प्रदाताओं की समर्पित, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित श्रमशक्ति की

पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे वृद्धजनों के आराम और समग्र कल्याण से संबंधित उनकी विविध और विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

(ख) से (ग): वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के अंतर्गत 32 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया था, जिन्होंने 36,785 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों का तेलंगाना सहित राज्य/संघ राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(घ): इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तथापि, प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण लागत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के सामान्य लागत मानदंडों के अनुसार दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए वजीफे का कोई प्रावधान नहीं है।

(ङ): योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रशिक्षण संस्थानों को अस्पतालों, नर्सिंग होम या होम केयर सेवा प्रदाताओं के साथ सामंजस्य बैठाना आवश्यक है, ताकि वृद्धावस्था देखभाल के प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं को नौकरी संबंधी प्रशिक्षण, जहां लागू हो, तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।

अनुलग्नक-I

पीएम-स्पेशल के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	कुल
1	आंध्र प्रदेश	150
2	बिहार	750
3	छत्तीसगढ	200
4	दिल्ली	100
5	गुजरात	650
6	हरियाणा	200
7	हिमाचल प्रदेश	1,575
8	जम्मू और कश्मीर	2,600
9	कर्नाटक	1,100
10	मध्य प्रदेश	12,450
11	महाराष्ट्र	3,200
12	पंजाब	850
13	राजस्थान	2,800
14	तमिलनाडु	150
15	**तेलंगाना**	**60**
16	उत्तर प्रदेश	9,750
17	उत्तराखंड	200
कुल		**36,785**

*****